5

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प.9(5)(9)कार्मिक/क-3/2001। जयपुर, दिनांक **20.3.2001**

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय राजकर्मी एम-वे नामक कम्पनी व इस प्रकार की अन्य कम्पनियों की एजेन्सी अपनी पत्नी या बच्चों के नाम से लेकर उनको सहयोग करने व कम्पनी के प्रचार प्रसार में लिप्त हैं।

इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 18 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान है कि बिना पूर्वानुमति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई भी राजकर्मी निजी व्यवसाय एवं नियोजन प्राप्त नहीं करेगा। उक्त नियम के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण संख्या (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी राजकर्मी द्वारा अपनी पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारित (owned) अथवा संचालित (managed) बीमा एजेन्सी अथवा अन्य कमीशन एजेन्सी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में पक्ष-प्रचार (canvassing) करना भी इन नियमों का उल्लंघन होगा।

अतः कृपया नियमों के उक्त प्रावधान की ओर आपके अधीन समस्त राजकर्मियों का ध्यान आकर्षित करते हुए यह हिदायत दें कि कोई भी राजकर्मी इस प्रकार के व्यावसायिक कृत्य व अन्य कमीशन ऐजेन्सी के पक्ष-प्रचार में लिप्त न हो अन्यथा इसे आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

शासन सचिव